

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकट्टा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 140 / ~~2020~~ 21 2017
लेख्य प्रकार— खंड 81/11/9 जमीन

03/11/20


अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लक्षित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नया भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखक अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशान भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0-03-खा0म0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुभव, निदेश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदियों की जांच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नपत्र गै0 न0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

गांव	खाता	खंसा	रकबा	जमाबंदीदार	पंजी-2 का
कोनहापुरा	21	-	0.29 वर्ग	रैयत का नाम झारखण्ड सरकार आ. नि. नि. नि.	पृ0 सं0 / भाग 29/II

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।

23/11/20


 अंचल अधिकारी
 बरकट्टा

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जांच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 29/II बनाने झारखण्ड सरकार (आ. नि. नि. नि.) को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की आज्ञा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरहौ को भेजें।


 अंचल अधिकारी
 बरकट्टा

संदिग्ध / संदेहारपद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहारपद जमाबंदी रयत का नाम - अब्दुल जलील/अन्वारी-फि. भा. मि. भा.
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण - वॉ. बराक

मौजा	थाना सं०	खता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>को. न. २५६</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>-</u>	<u>०.२९ रु०</u>
3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या २ पृष्ठ सं०-२१ पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - १९७७-७८
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतियान का नाम - वॉ. बराक
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है आदेश नहीं है।
7. यदि संदेहारपद जमाबंदी मानान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम - —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनियमित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूवदावरी - —
9. संदेहारपद जमाबंदी की जाँच किस प्रकार अभिलेख से की गई (भूगर्भ जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी-11 से
10. संदेहारपद जमाबंदी में अचित्त जमा रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	संबंधी वर्ष
—	—	—	—


१३/११/२०००

अधैध जनान्वन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - उ.प्र. - वाराणसी
2. क) अधैध जनान्वन्दीदार का नाम - अधैध जनान्वन्दीदार - श्री. भाद्रु मिश्र
ख) अधैध जनान्वन्दी की भूमि की विवरणी -

पंजी	प्लान नं०	खाला सं०	खजाना सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किरण जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>क) नं० २५६</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>-</u>	<u>०.२१</u>	<u>गैर खाली</u>	<u>भूमि (क) नं० २५६ के गैर खाली भूमि के अंग पर, खतियानी के किराने लागत दर्ज है।</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - पर्वत
4. अधैध जनान्वन्दी पंजी II में कब से संधारित है - १९७७-७८
5. उक्त जनान्वन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम - काफेस - दर्ज नहीं है।
(पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।)
6. नामान्तरण/दाखिल --खारिज उपरान्त संधारित जनान्वन्दी के मामलों में मूल जनान्वन्दी रैयत की विवरणी - गैर खाली
7. अधैध जनान्वन्दी कायम किये जाने का आधार
 - i) अनिर्दिष्ट सादा हुकुमनामा
 - ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (याद सं० एवं पारित आदेशानुसार)
 - iii) अधैध भू-बन्दोवस्ती (याद सं० के साथ)
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये कम या इससे अधिक)
9. अधैध जनान्वन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है -
 - i) नूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से -
 - ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से -
 - iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - पंजी - II से
10. क) अधैध जनान्वन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? नहीं
11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नहीं
12. वर्ष 1954-55 में हुए फिक्स्ड युझरत पंजी में दखल कच्चा अधैध जनान्वन्दीदार अथवा उनका पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित - भूमि गैर खाली है। सर्वे
14. अंचल निरीक्षक का स्थानीय जाँचोपरान्त मन्तव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - खतियानी के किराने अंचल कार्यालय के अंग पर, खतियानी के किराने लागत दर्ज है।

अधैध अधिकारी
भूमि सुधार उपसहायक
अनुमंडल पदा०

अपर सहायक
जमींदारी सुधार
अनुमंडल पदा०